तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी हु...
20.3.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगणों द्वारा [illegible] कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते [illegible] कार्यवाही दिनांक 27.3.23 को पेश हो।	
27.3.22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र मे वकील उभयपक्षकारान के द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में प्रार्थी ने वर्णित किया है कि "प्रार्थी की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आने जाने के लिए 12 फुट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 533 सरकारी भूमि जिस पर ग्राम नाहरगंज जाने वाला डामर रोड निकला हुआ है इस रोड से पश्चिमी दिशा की तरफ प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 की भूमि खसरा संख्या 537 व खसरा संख्या 174 के बीच की मेर पर होकर खसरा सं. 173 पर पहुंचता है, जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट "क" मे लाल रंग से दर्शाया गया है, प्रार्थी वर्षों से इसी रास्ते में होकर मंदिर की भूमि पर आता [illegible] प्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब [illegible] निवेदन किया कि [illegible] 533 [illegible] भूमि का मूल्य चुकाए बिना खसरा संख्या 533 की भूमि को हड़प करना चाहता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:04 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जावे। प्रत्यर्थीगण सं. 3,4 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 173 पर नाहरगंज जाने वाले डामर रोड से होकर खसरा संख्या 175 मे होकर खसरा संख्या 174 की उत्तरी मेड से होकर पहुंचता है जो काफी पुराना रास्ता है वर्तमान मे चालू है जिसका उपयोग प्रार्थी करता चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं यह वर्णित कर रहा है कि रास्ता मौके पर मौजूद है एवं वह इसी से आता जाता है। अतः नया रास्ता कायम किये जाने की आवश्यकता सिद्ध नही होती है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 251'क' के तहत नये रास्ते के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के प्रावधान है। प्रार्थी चालू रास्ते के सम्बन्ध में धारा 251 के तहत तहसीलदार नैनवां को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251'क' के तहत [illegible] नही होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:25:04 IST
Reason: SelfAttested